रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2009/श्रावण 29, 1931

No. 463] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2009/SRAVANA 29, 1931

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 590(अ).—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 22 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ परामर्श करने के पश्चात् दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **नियम 4 का संशोधन.**—दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) नियम, 1981 के नियम 4 के उप-नियम (2) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस उप-नियम की कोई बात केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय निकाय, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन स्वशासी निकाय या संगठनों के संबंध में भूमि के आबंटन को प्रभावित नहीं करेगी" ।

[फा. सं. के-11011/1/2009-डीडीआईए]

सुजाता चतुर्वेदी, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 872, तारीख 26 सितम्बर, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक (1) सा.का.नि. 97, तारीख 27 जनवरी, 1989, (2) सा.का.नि. 677(अ), तारीख 11 नवम्बर, 1991, (3) सा.का.नि. 486(अ), तारीख 5 जुलाई, 2002, (4) सा.का.नि. 806(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2002, (5) सा.का.नि. 801(अ), तारीख 9 दिसम्बर, 2004 और (6) सा.का.नि. 220(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2006 द्वारा उनका पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2009

G.S.R. 590(E).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (2) of Section 56, read with sub-section (3) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government, after consultation with the Delhi Development Authority, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Rule 4.—In the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, in rule 4, in sub-rule (2), for the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that nothing contained in this sub-rule shall affect the allotment of land to the Central Government, State Government, Union Territory, local body, autonomous bodies or organizations owned by the Central Government".

[F. No. K-11011/1/2009-DDIA]

SUJATA CHATURVEDI, Director

Note: The principal rules were published *vide* number G.S.R. 872, dated the 26th September, 1981 and subsequently amended *vide* number (1) G.S.R. 97, dated the 27th January, 1989, (2) G.S.R. 677(E), dated the 11th November, 1991, (3) G.S.R. 486(E), dated the 5th July, 2002, (4) G.S.R. 806(E), dated the 3rd December, 2002, (5) G.S.R. 801(E) dated the 9th December, 2004 and (6) G.S.R. 220(E) dated the 19th April, 2006.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054